राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

Letter No. CCE/ISDC/RSLDC/Skill/2019/1262 Date: 16th September 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः **'मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना में विद्यार्थियों द्वारा कौशल कोर्सेस में आवेदन की सूचना भिजवाने बाबत।**

महोदय,

राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये एक विशेष योजना **'मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना** (MMYKY) के माध्यम से रोजगारोन्मुख विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करवाये जाने के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक दिनांक CCE/P&C/ISDC/CAP-AAP/2019/1198; 04 सितम्बर 2019 के क्रम में लेख कि –

1. कौशल प्रशिक्षण के इन कोर्सेज में प्रवेश के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि 16 सितम्बर 2019 में **विद्यार्थियों की मांग एवं कुछ प्राचार्यों के अनुरोध पर परिवर्तन करके इसे 20 सितम्बर किया गया है।** अब 20 सितम्बर 2019 तक इन कोर्सेस में प्रवेश के लिये आवेदन किये जा सकेंगे। **दिनांक 20 सितम्बर के उपरान्त इस तिथि में किसी भी प्रकार की अभिवृद्धि संभव नहीं होगी।**
2. महाविद्यालयों में इन कोर्सेस में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की **सूचना Skill 2019 स्प्रेडशीट** में आवेदन की अन्तिम तिथि के दिन ही प्रेषित करनी है। यह Skill 2019 स्प्रेडशीट महाविद्यालय की ई–मेल की गूगल ड्राइव में प्रेषित की जा चुकी है। इस Skill 2019 स्प्रेडशीट को भरते समय निम्न बातों का ध्यान रखें –
   - इस Skill 2019 स्प्रेडशीट के कॉलम संख्या 6–8 तक में प्राचार्य से संबंधित सूचना चाही गई है।
   - कॉलम संख्या 9–11 तक में नवाचार एवं कौशल विकास प्रभारी से संबंधित सूचना चाही गई है।
   - कॉलम संख्या 12–50 तक में विद्यार्थियों द्वारा चयनित कौशल कोर्स से संबंधित सूचना भरनी है। इस सूचना को भरते समय कृप्या यह ध्यान रखें कि विद्यार्थियों से कौशल चयन विकल्प भरवाते समय 03 विकल्प भरने के लिये कहा गया है। अतः विद्यार्थियों की संख्या भरते समय तीनों ही विकल्पों में विद्यार्थियों को सम्मिलित करके संख्या भरी जानी है। जैसे कि किसी एक कोर्स का 20 विद्यार्थियों ने प्रथम प्राथमिकता में चयन किया है, तथा उन्ही विद्यार्थियों ने द्वितीय एवं तृतीय प्राथमिकताओं में दो अन्य कोर्स चयनित किये हैं। इस स्थिति में इन 20 विद्यार्थियों की संख्या तीनों ही कोर्सेस में भरी जायेगी।
   - आवेदित्त विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर महाविद्यालय एवं कोर्स का अन्तिमिकरण किया जायेगा।

विद्यार्थी हित में अधिकाधिक विद्यार्थियों को इन कोर्सेस में प्रवेश के लिये प्रोत्साहित करते हुए इस सूचना को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रदीप कुमार बोरड़
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान

प्रतिलिपि सूचनार्थः
पत्रांकः CCE/ISDC/CAP-AAP/2019/1263-65; दिनांकः 16 सितम्बर 2019

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास, राजस्थान।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, RSLDC, राजस्थान।
5. सभी सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को संबंधित सम्भाग में मॉनिटरिंग हेतु।
6. सभी प्रभारी अधिकारी, कॉलेज समूह, आकाशि, जयपुर को संबंधित महाविद्यालयों के साथ समन्वय हेतु।
7. वैब प्रभारी, आकाशि को अपलोड/मेल करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

16/9/19

डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी, नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ